निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
107, चन्दर नगर, देहरादून।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एण्ड एलाईड हैल्थ साईसेज,
मदरहुड, यूनिवर्सिटी, ग्राम–करौंदी, भगवानपुर,
रुड़की, हरिद्वार।

पत्रांक: 123 / 26प / चि0शि0 / 20–भाग–1 / 2017 दिनांक 19 मार्च, 2018

विषय –: उत्तराखण्ड राज्य में निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल संस्थानों में सीट वृद्धि व नये पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:–186 / XXVIII(2)/2018-13(पैरा)/2016 दिनांक 13.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित पैरामेडिकल संस्थानों को राज्य सरकार की अनापत्ति के प्रकरण पर तद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पैरामेडिकल संस्थान फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एण्ड एलाईड हैल्थ साईसेज, मदरहुड, यूनिवर्सिटी, ग्राम–करौंदी, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार को निम्नानुसार पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन की शैक्षणिक सत्र 2017–18 से अनापत्ति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	संस्थाना का नाम	पाठ्यक्रम	संस्तुत सीटें (शैक्षणिक सत्र 2017–18 से प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिए)
1	फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एण्ड एलाईड हैल्थ साईसेज, मदरहुड, यूनिवर्सिटी, ग्राम–करौंदी, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार।	बी0एम0एल0टी0	20
		बी0एम0आर0टी0	25
		बी0पी0टी0	20

1. निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के समय जिन संस्थानों में कतिपय / आंशिक कमियां पायी गईं तथा उन कमियों को पूर्ण कर लिये जाने के प्रतिबन्ध के साथ अनापत्ति इस आशय से प्रदान की जा रही है कि सम्पूर्ण मानकों को यथासमय पूर्ण कर लिया जाये।
2. पैरामेडिकल संस्थानों द्वारा बिना पाठ्यक्रम संचालन की अनापत्ति प्राप्त किये एवं विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये छात्रों को पूर्ण प्रवेश दिया जाना अवैधानिक है। भविष्य में ऐसे संस्थानों पर विधिसम्मत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
3. आदेश निर्गत होने की तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र पैरामेडिकल संस्थानों के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी।
4. राज्य सरकार शैक्षणिक सत्र के दौरान कभी भी जो उचित समझे, इन संस्थानों का निरीक्षण करायेगी, यदि निरीक्षण में कमिया पाई जाती हैं तो संस्तुति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर विचार करेगी।
5. उक्त संस्थान जिनके पास स्वयं का चिकित्सालय है वह अपने द्वारा संचालित संस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी संस्थान को क्लीनिकल मैटिरियज, अपने टीचिंग चिकित्सालयों की शैय्यायें आदि की संबद्वता नही देंगे, जिससे कि इन संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों / छात्राओं को समुचित प्रैक्टिकल करने की सुविधा मिले तथा व्यावसायिक वातावरण बना रहे।